कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड़, जयपुर–15)

क्रमांक:एफ 7 ( ) उपा.सत.ग्रे. (सा.प्र)/न.नि.ज./2025/ 1155 दिनांक 20/3/2025

जनसम्पर्क अधिकारी,
नगर निगम ग्रेटर जयपुर।

विषय :– नगर निगम ग्रेटर जयपुर की सतर्कता शाखा स्वेजफार्म गोदाम, स्वेजफार्म सर्किल, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला जयपुर में रखे सामानों की संशोधित नीलामी की सूचना प्रकाशन करवाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के कम में लेख हैं कि नगर निगम ग्रेटर जयपुर क्षेत्राधिकार से सरकारी भूमि एवं फुटपाथ से अस्थाई अतिकमणों को नियमानुसार हटाये जाकर जब्तशुदा विभिन्न सामानो की नीलामी दिनांक **24.03.2025** को स्वेज फार्म गोदाम, स्वेजफार्म सर्किल, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला जयपुर में की जानी प्रस्तावित हैं।

अतः निविदा की शर्ते संलग्न कर लेख है कि आप संशोधित नीलामी/निविदा की सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र में तथा ऑन लाईन कराने का श्रम करें।

(अजय कुमार शर्मा) **RPS**
उपायुक्त (सतर्कता)
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड़, जयपुर – 15)

क्रमांक : एफ 7 ( ) उपा. सत. ग्रे. (सा. प्र)/न. नि. ज. /2025/ 1156 दिनांक : 20/3/2025

संशोधित नीलामी सूचना

नगर निगम ग्रेटर जयपुर की सतर्कता शाखा स्वेज फार्म गोदाम में रखें निम्नांकित सामान जहॉ हैं, जैसे हैं के आधार पर सामान के सामने अंकित दिनांक एवं स्थान पर नीलाम किया जायेगा :–

क्र. सं.	सामान का नाम	स्थान	नीलामी तिथि	समय (प्रातः)
1	स्वेज फार्म गोदाम मे रखे जब्त सामान – थड़ी ठैले, साईकिलें, लोहा परात व घमले, स्टील टंकी, सिल्वर भगौना, हैलमेट, आदि।	नगर निगम ग्रेटर जयपुर की सतर्कता शाखा गोदाम, स्वेज फार्म सर्किल, संजीवनी हॉस्पिटल के सामने, न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर।	24.03.2025	11 बजे

1. नीलामी योग्य सामान की विस्तृत सूची सतर्कता शाखा स्टोर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती हैं तथा सूची एवं नीलामी की शर्ते विभागीय पोर्टल **www.jaipurmc.org** पर एवं सूचना पटट् निगम मुख्यालय ग्रेटर, लालकोठी पर भी देखी जा सकती हैं।
2. नीलामी में भाग लेने से पूर्व निर्धारित राशि जो मौके पर बताई जावेगी वह अमानता के रूप मे जमा कराना आवश्यक होगा। अमानता राशि के अभाव में कोई भी व्यक्ति बोली में भाग नहीं ले सकेगा।
3. उच्चतम बोलीदाता को सम्पूर्ण राशि मौके पर ही जमा करानी होगी अन्यथा अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी। कोई राजकीय कर नियमानुसार देय हैं तो वह अतिरिक्त जमा कराना होगा।
4. बोली छोड़ने व बोलीदाता द्वारा राशि जमा कराने के पश्चात ही प्रथम/द्वितीय/तृतीय बोलीदाताओं की अमानता राशि लौटा दी जायेगी। नीलाम किए गये सामान की सुरक्षा का दायित्व सम्बन्धित व्यक्ति का होगा।
5. यदि प्रथम उच्चतम बोलीदाता माल लेने से इंकार कर देता हैं तो, द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को माल देने पर विचार किया जा सकता हैं एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी यदि नीलामी कमेटी उचित समझती हैं तो ही द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को माल दिया जा सकता हैं, यदि द्वितीय उच्चतम बोलीदाता माल लेने से इंकार कर देता हैं तो उसकी अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
6. यदि प्रथम व द्वितीय उच्चतम बोलीदाता माल लेने से इंकार कर देते हैं तो, तृतीय उच्चतम बोलीदाता को माल देने पर विचार किया जा सकता हैं। यदि नीलामी कमेटी उचित समझती है तो ही तृतीय उच्चतम बोलीदाता को माल दिया जा सकेगा। यदि तृतीय उच्चतम बोलीदाता माल लेने से इंकार कर देता हैं तो उसकी भी अमानता राशि जब्त कर ली जायेगी तथा सामान की पुनः नीलामी की जायेगी।
7. प्रथम/द्वितीय/तृतीय उच्चतम बोलीदाता से प्राप्त बोली के आधार पर माल देने हेतु निगम बाध्य नही होगा, जब तक की कमेटी प्राप्त दरों को उचित नहीं समझती हैं। किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार नीलामी कमेटी को होगा।

<u>नोट</u> :– दिनांक 13.03.2025 को समाचार पत्रों में गैस सिलेण्डरो सहित उपरोक्त सामान की नीलामी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। श्रीमान् जिला कलक्टर जयपुर द्वारा गैस सिलेण्डरो की नीलामी के संबंध में आपत्ति किए जाने पर स्वेज फार्म पर जप्त गैस सिलेण्डरों को अग्रिम आदेशो तक नीलामी से मुक्त रखा गया है। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित किया गया है।

(अजय कुमार शर्मा) RPS
उपायुक्त (सतर्कता)
नगर निगम ग्रेटर जयपुर